

बिहार विधान सभा में प्राप्त शून्यकाल सूचना	
श्री राजकुमार राय, मा० स० वि० स० द्वारा दि०-18.03.2011 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना सं०-18/11 के संबंध में	श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
शून्यकाल सूचना	उत्तर
<p>समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर एवं विथान प्रखण्ड के ग्राम -भटवन, वलहपुर, सजवा, भिअनोनिया, सरझा, सिरसिया, सलहा तथा विरोटना के विस्थापितों को 18 वर्ष पूर्व का मुआवजा नहीं मिला, विस्थापितों में आक्रोश है ।</p> <p>सदन के माध्यम से सरकार से उपरोक्त गाँवों के विस्थापितों को मुआवजा की मांग करते हैं ।</p>	<p>अस्वीकारात्मक ।</p> <p>इस तरह का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । अतः मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।</p>

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-66/2011/...../आ०प्र०, पटना-15, दि०-


प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -1048 दि०-11.04.2011 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04/वि०प०शू०का०प्र०-66/2011/.....²⁵⁴¹...../आ०प्र०, पटना-15, दि०- ^{27/6/11}

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाइटपर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव